

तथा आदर्शों के अनुरूप चित्र प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार अरस्तू का अनुकरण सिद्धान्त भावनामय तथा कल्पनामय अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रतिकृति को नहीं।

3. काव्य और इतिहास का सम्बन्ध—अरस्तू के अनुसार, “काव्य या कविता इतिहास की अपेक्षा कलापूर्ण, दार्शनिक और उच्चतर वस्तु है। कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि एक तो उसका वर्णन करता है, जो घटित हो चुका है और दूसरा उसका वर्णन करता है कि जो घटित हो सकता है। काव्य सामान्य की अभिव्यक्ति है और इतिहास विशेष की।” उनके इस कथन में इतिहास के सत्य को मूर्त एवं अब्यापक बताया गया है और काव्य के सत्य को अमूर्त एवं व्यापक कहा गया है। मूर्त वस्तुपरक होता है, जबकि अमूर्त का चित्रण कल्पना, अनुभूति तथा विचार पर आश्रित होता है। अतः अनुकरण से अरस्तू का अभिप्राय भावपरक अनुकरण से है।

4. कार्य और अभिप्राय—त्रासदी का विवेचन करते हुए अरस्तू ने उसके जो छह भेद माने हैं, उनमें सभी भेद केवल पात्र या व्यक्ति का नहीं, अपितु उसके कार्य और जीवन का अनुकरण करते हैं।

इस प्रकार अरस्तू ने ‘कार्य’ शब्द का प्रयोग ‘मानव जीवन के चित्र’ के अर्थ में किया है। जो कुछ भी मानव जीवन के आन्तरिक पक्ष को व्यक्त कर सके, उसके बुद्धिसम्मत व्यक्तित्व का उद्घाटन करे, वह सभी कुछ ‘कार्य’ शब्द के अन्तर्गत आयेगा। इस प्रकार अरस्तू ने ‘कार्य’ शब्द को अत्यधिक व्यापकता प्रदान कर दी है। अतः यहाँ भी अनुकरण का अर्थ नकल न होकर पुनर्प्रस्तुतीकरण ही उचित प्रतीत होता है। इसी सन्दर्भ में उन्होंने लिखा है कि काव्य में जिस मानव का चित्रण होता है, वह सामान्य मानव से अच्छा, बुरा या वैसा भी हो सकता है। पर उन्होंने तीसरे वर्ग की चर्चा न कर केवल सामान्य से अच्छे और बुरे की चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि वह काव्य में प्रकृति के अंधानुकरण के विरुद्ध थे। अनुकरण से उनका तात्पर्य कल्पनात्मक पुनः सर्जन से था।

5. आनन्द की अनुभूति—अरस्तू के अनुसार, “जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन हमें दुःख देता है, उनके अनुकरण द्वारा प्रस्तुत रूप हमें आनन्द प्रदान करता है। डरावने जानवर देखने से हमें भय एवं दुःख होता है, किन्तु उसका अनुकृत रूप हमें आनन्द प्रदान करता है।” इसका आशय यह हुआ है कि ‘अनुकरण’ द्वारा वास्तविक जीवन में भय और दुःख की अनुभूति प्रदान करने वाली ‘वस्तु’ को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उससे केवल आनन्द की प्राप्ति होती है। यह अनुकरण निश्चय ही यथार्थ वस्तुपरक अंकन न होकर, भावनात्मक और कल्पनात्मक होगा। अरस्तू का यह मत भारतीय रस-सिद्धान्त से बहुत कुछ मिलता-जुलता प्रतीत होता है।

अरस्तू का कथन है कि अनुकृत वस्तु से प्राप्त आनन्द कम सार्वभौम नहीं होता. यद्यपि इस कथन में अरस्तू का संकेत सहृदय के आनन्द से ही है, पर महदय को भी आनन्द तभी प्राप्त हो सकता है, जब कवि के हृदय में आनन्द भाव की अनुभूति हो. इसका अर्थ यह हुआ कि अनुकरण में आत्माभिव्यंजन आवश्यक है.

सैद्धान्तिक निष्कर्ष उपर्युक्त विवेचन से अरस्तू के अनुकरण सिद्धान्त के जो सैद्धान्तिक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, वे इस प्रकार हैं-

1. अनुकरण के विषय प्रकृति अथवा जीवन का बहिरंग ही नहीं, अपितु उसका अंतरंग भी है अर्थात् काव्यात्मक अनुकरण जीवन के अन्तर्बाह्य रूपों से सम्बन्ध है.

2. जीवन के अन्तर्बाह्य रूपों में से अनुकरण का अंतरंग विषय प्रधान होता है. वस्तु के प्रत्यक्ष रूप की अपेक्षा उसका कल्पनात्मक तथा भावात्मक विचारात्मक रूप ही अधिक ग्राह्य है.

3. काव्य वस्तु के तीन रूपों का अनुकरण होता है-  
(i) प्रतीयमान रूप का (जैसा अनुकर्ता को प्रतीत होता है),  
(ii) सम्भाव्य रूप का (जैसा वह हो सकता है) और  
(iii) आदर्श रूप का (जैसा वह होना चाहिए). इन तीनों रूपों में अनुकर्ता की भावना और कल्पना का योगदान रहता है. अतः अनुकरण भावात्मक एवं कल्पनात्मक, पुनः सर्जन का ही पर्याय है.

4. अनुकरण में आनन्द का तत्त्व अनिवार्यतः निहित होने का अर्थ भी यही है कि उसमें आत्म-तत्त्व का प्रकाशन निहित रहता है.

5. भावतत्त्व एवं उसमें सन्निहित आत्म-तत्त्व का सद्भाव निश्चित होने पर भी अनुकरण को विशुद्ध आत्माभिव्यंजक का पर्याय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें वस्तु-तत्त्व की प्रधानता भी अनिवार्य है.

6. अरस्तू का सिद्धान्त-प्रतिपादन युगीन परिवेश में ही हुआ है. समसामयिक वातावरण के अनुसार इन्होंने त्रासदी को काव्य का चरम उत्कर्ष माना और अन्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी इसी प्रसंग में किया है.

7. अरस्तू ने काव्य-रूप को अनुकरणमूलक माना है. कवि-कर्म के लिए अनुकरण का प्रयोग अरस्तू से पूर्व प्रचलित था. इस परम्परागत शब्द को अरस्तू ने विशेष अर्थवत्ता प्रदान की है.

सीमाएँ-1. अरस्तू आत्म-तत्त्व तथा कल्पना-तत्त्व को स्वीकार करते हुए भी वस्तु-तत्त्व को प्रधानता देता है. यह व्यक्तिपरक भाव-तत्त्व से अधिक महत्व वस्तुपरक भाव-तत्त्व को देता है, जो निश्चय ही अनुचित है, क्योंकि भाव-तत्त्व के अभाव में कविता, कविता नहीं रहती.

2. कवि जीवन में विभिन्न अनुभावों के बीच से गुजरता हुआ नाना प्रभाव ग्रहण करता है और इन सबसे उसकी अंतश्चेतना का निर्माण होता है, परन्तु अरस्तू ने इसे महत्व नहीं दिया.

3. विश्व का गीति-काव्य, जो मात्रा में अब सबसे अधिक हो गया है, इस सिद्धान्त की परिधि के भीतर नहीं समा सकता, क्योंकि गीति-काव्य की आत्मा है भाव, जो किसी प्रेरणा के भार से दबकर एक साथ गीति के रूप में फूट निकलता है.

4. अरस्तू के अनुकरण सिद्धान्त का क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धान्त से भी विरोध है. क्रोचे के अनुसार अनुकरण कला-सृजन में कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, जबकि अरस्तू अनुकरण को ही कला मानता है.

5. अरस्तू के अनुकरण सिद्धान्त पर यह आक्षेप भी किया जाता है कि उसने जो शब्द 'इमीटेशन' का 'मीमैसिस' चुना है, वह उपयुक्त नहीं है. उस शब्द के अर्थ की परिधि में 'कल्पनात्मक पुनर्निर्माण', 'पुनः सृजन', सर्जना के आनन्द की अवस्थिति आदि अर्थों का अन्तर्भाव नहीं हो सकता.

6. अरस्तू ने भले ही अनुकरण को नया अर्थ प्रदान करके कला का स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित किया और सौन्दर्य को शिव से अधिक व्यापक माना. फिर भी उनका अनुकरण सिद्धान्त पूरी तरह निर्दोष नहीं है.

अनुकरण का सिद्धान्त प्लेटो से पूर्व भी था और स्वयं प्लेटो ने भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, परन्तु अरस्तू ने पूर्ववर्ती मतों का एकदम अंधानुकरण न करके इसकी विस्तृत व्याख्या की. अरस्तू ने काव्य-कला में अनुकरण सिद्धान्त को कल्पनात्मक पुनर्निर्माण संज्ञा से अभिहित किया. यद्यपि अरस्तू के इस सिद्धान्त में कई न्यूनताएँ हैं, इसकी कुछ परिसीमएँ हैं, तथापि इसमें काव्य-विश्लेषण की क्षमता है. वर्तमान काल में अनुकरण का महत्व कम हो गया है और कविता में यथार्थवाद, प्रगतिवाद, आदर्शवाद, नवचेतनाविवाद आदि को अपनाया जाने लगा है. इस तरह अरस्तू का अनुकरण सिद्धान्त अतीव महत्वपूर्ण है.